फर्द अहकाम

भागीरथ बनाम गीता देवी

नाम न्यायालय अ.सि.जं.व.न्या. (फा.ट्रै.) चौमू

केस संख्या 50/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	18/3/21	पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। अत: आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 23/3/21 को पेश हो।
	23/3/21	पक्षकारान वादी उप०। बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते अवलोकन व आदेश दिनांक 31/3/21 को पेश हो।
	31/3/21	पक्षकारान वादी उप०। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा० मि० किया गया। प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो।

महानगर ... (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.08.05 13:14:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मुकदमा रा0- 50 / 2017
उनवान- मालीराम बनाम नाथी देवी
निर्णय दिनांक- 31.03.21

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर
पीठासीन अधिकारी –सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–50 / 2017

उनवान

मालीराम पुत्र श्री बींजाराम जाति बलाई, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. नाथी देवी पत्नि श्री गोरधन
2. मांगीलाल पुत्र श्री सुवालाल एवं बरजी देवी
3. प्रेम देवी पत्नि रघुवीर पुत्री सुवालाल एवं बरजी देवी
   समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम जाहोता, तहसील आमेर, जिला जयपुर(राज0)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. उप–पंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय, चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955
निर्णय

दिनांक :–31-03-21

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 07.01.2019 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है जिस पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात प्रस्ताव सभी काश्तकारों के रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 11.01.2021 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि खाता संख्या 222 के आराजी खसरा नम्बर 4994 / 8144 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 5849 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 5850 रकबा 0.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5851 / 8465 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 5934 / 8464 रकबा 0.20 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 1.57 हैक्टेयर भूमि वाके खेजरोली, पटवार हल्का खेजरोली ए, भू0अभि0नि0 क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

1. नाथी देवी पत्नि गोरधन हिस्सा 1/2 सा0 देह प्रेम देवी उर्फ माली देवी पुत्री सुवालाल हिस्सा 1/4 निवासी इटावा भो[illegible]लाल पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/4 निवासी जाहोता, जाति रैगर को [illegible] नम्बर 4994 / 8144 / 2 रकबा 0.0150 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0150 है0 [illegible] कब्जे में रहेगी।
2. मालीराम पुत्र बिंजाराम [illegible] खातेदार को खसरा नम्बर 4994 / 8144 / 1 रकबा 0.2150 है0, खसरा न[illegible] 5849 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 5850 रकबा 0.77 है0, खसरा नम्बर 5851 / 8465 रकबा 0.04 है0, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.08.05 13:14:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)

Scanned with CamScanner

मुकदमा सं0–50 / 2017
उनवान– मालीराम बनाम नाथी देवी
निर्णय दिनांक– 31.03.21

नम्बर 5934 / 8464 रकबा 0.20 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 1.5550 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक ......31.03.21...... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0 / मुख्यालय)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.08.05 13:14:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मुकदमा सं0–50/2017
उनवान– मालीराम बनाम नाथी देवी
निर्णय दिनांक– 31.03.21

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–50/2017

उनवान

मालीराम पुत्र श्री बींजाराम जाति बलाई, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. नाथी देवी पत्नि श्री गोरधन
2. मांगीलाल पुत्र श्री सुवालाल एवं बरजी देवी
3. प्रेम देवी पत्नि रघुवीर पुत्री सुवालाल एवं बरजी देवी
   समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम जाहोता, तहसील आमेर, जिला जयपुर(राज0)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. उप–पंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय, चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू सुश्री सीमा शर्मा आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

1. नाथी देवी पत्नि गोरधन हिस्सा 1/2 सा0 देह प्रेम देवी उर्फ माली देवी पुत्री सुवालाल हिस्सा 1/4 निवासी ईटावा भोपजी, मांगीलाल पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/4 निवासी जाहोता, जाति रैगर को खसरा नम्बर 4994/8144/2 रकबा 0.0150 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0150 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. मालीराम पुत्र बिंजाराम जाति बलाई सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 4994/8144/1 रकबा 0.2150 है0, खसरा नम्बर 5849 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 5850 रकबा 0.77 है0, खसरा नम्बर 5851/8465 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 5934/8464 रकबा 0.20 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 1.5550 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूली .... की अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 31.03.21 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.08.05 13:14:05 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

दस्तखत ....

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with CamScanner

मुकदमा सं0- 50/2017
उनवान- गालीराम बनाम नाथी देवी
निर्णय दिनांक- 31.03.21

ओहदा..........

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	0
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय हुक्मनामा	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	0

(जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.08.05 13:14:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner